उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
रुड़की

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

मैनुअल संख्या 02

(Updated 4th Version June'2019)

क्रम संख्या–17

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0एन0–30 / 03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2004 ई0
पौष 25, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 499 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2003
देहरादून, 15 जनवरी, 2004

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 पर दिनांक 13–01–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 27, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003
(अधिनियम संख्या 27, वर्ष, 2003)

उत्तरांचल राज्य में प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने और उसका गठन करने एवं उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक, विषयों की व्यवस्था करने हेतु यह

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित :–

प्रारम्भिक	
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार	1. (1) यह अधिनियम ''उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2003'' कहा जायेगा। (2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत हुआ समझा जायेगा। (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
परिभाषायें	2. जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में – (क) ''प्राविधिक शिक्षा'' का तात्पर्य तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा से है, जो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसके लिए डिप्लोमा स्तर (2 से 3 वर्ष), स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक (3 से 4 वर्ष) की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे सिविल, विद्युत यांत्रिक रासायनिक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिकी उपकरणन (इन्स्ट्रूमेन्टेशन), सूचना प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्या (आर्किटेक्चर), कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भेषजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन्टीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन, कार्यालय प्रबन्धन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अन्य विविध व्यावसायिक तथा अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है; (ख) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है ; (ख–1) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' (AICTE) का तात्पर्य ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है ; (ग) ''केन्द्र'' का तात्पर्य ऐसी संस्था या स्थान से है, जिसे परीक्षाओं के संचालन हेतु परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। इसमें इससे सम्बद्ध अथवा संलग्न परिसर भी सम्मिलित है ; (घ) ''सम्बद्ध संस्था'' का तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों (स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से भिन्न) के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाएं गये नियमों के अनुसार परिषद् से सम्बद्ध किसी सरकारी, शासकीय सहायता प्राप्त अथवा निजी क्षेत्र की स्ववित्त पोषित संस्था से ह ; (च) ''प्रमाण–पत्र'' से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रमों को जिन्हें नियमों अथवा विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त परिषद् द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण–पत्र से है ; (छ) ''डिप्लोमा'' से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें नियमों एवं विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी सम्बद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त आरम्भिक डिप्लोमा, एडवान्स डिप्लोमा,